न्यायालय नायब तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 24/2019 अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956
अनुवानः— राज्य सरकार बनाम **प्रहलादनाथ**

निर्णय

दिनांकः—25.11.2019

आज यह पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का **बापेऊ** अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट.1956 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पेश कि गैर सायल **प्रहलादनाथ** पुत्र/पत्नी **श्री गोमन्दनाथ** जाति **नाथ**निवासी **बापेऊ** द्वारा ग्राम **बापेऊ** के आराजी **खसर नम्बर 608** तादादी **7.45** हैक्टेयर किस्म भूमि **गै.मु. श्मसान** भूमि में से **0.09** हैक्टेयर भूमि पर सम्वत् 2076 में **नाजायज कब्जा कर मकान व बाडा बनाकर** अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, अतः इनके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही करनें का अनुरोध किया हैं।

प्रकरणं दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर सायल को जारी नोटिस विधिवत तामिल कराया गया। गैर सायल बावजूद विधिवत नोटिस तामिल के असालतन व वकालतन उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्व दिनांक 22.11.2019 को ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

उक्त अतिक्रमित भूमि के संबंध में स्वामित बाबत् कोई दस्तावेज/सबूत गैर सायल द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। जिससे उक्त भूमि पर इनका स्वामित्व साबित होता हैं, जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गैर सायल द्वारा उक्त भूमि पर **नाजायज मकान व बाडा बनाकर** अतिक्रमण किया हैं। गैर सायल द्वारा भूमि स्वामित्व संबंधित कोई सन्तोषजनक जवाब/सबूत प्रस्तुत न करनें एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में गैर सायल **प्रहलादनाथ** का उक्त खसरा नंबर **608** तादादी **7.45** हैक्टेयर **गै.मु. श्मशान** भूमि में से **0.09** हैक्टेयर/वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमण होना साबित होता हैं। गैर सायल **प्रहलादनाथ** अतिक्रमी की श्रेणी आता हैं।

अतः गैर सा **प्रहलादनाथ नाथ** पुत्र/पत्नी **श्री गोमन्दनाथ** जाति **नाथ** निवासी **बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ** को ग्राम **बापेऊ** के खसरा नम्बर **608** तादादी **7.45** हैक्टेयर **गै.मु. श्मशान** भूमि में से **0.09** हैक्टेयर/वर्गमीटर भूमि का सम्वत 2076 का अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया जाता हैं तथा लगान **0.09** रूपये रूपये का 50 गुणा से **5.00** रूपये शास्ती आरोपित की जाती हैं।

तहसील राजस्व लेखाकार कों मांग कायमी, पटवारी हल्का को शास्ती राशि वसुली एवं हल्का भू—अभिलेख निरीक्षक को अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल एवं कब्जा बहक सरकार लेने हेतु लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील पूर्ति दाखिल दफतर हो।

तहसीलदार
श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर